

14/5/24

प्राथमिक एवं वकील प्राथमिक उप-ही।
सा-सा कायान्त विचारों में किन्तु
कोई उप-नहीं काया। पुंकि दावा
प्राथमिक अदम्य हाथों एवं अदम्य
पेस्वी में स्वार्थ हो गया है। ऐसी
विचारों में ही पत्र प्राथमिक मारहीन
होने के कारण स्वार्थ किया जाता
है। पूर्व में जारी १.२ स्वार्थ किया
जाता है। पत्रावली दालिम दपतर
है।

21
उपखण्ड अधिकारी
पहड़ी (डीग)